टेसी जोस और अन्य

बनाम

केरल राज्य (2018 की आपराधिक अपील संख्या 961) 01 अगस्त, 2018

[ए.के.के] सीकरी और अशोक भूषण, न्यायमूर्तिगण]

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – धारा 19 (1) आर/डब्ल्यू एस 21 (1) – अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था जब वह नाबालिग थी – परिणामस्वरूप, वह गर्भवती हो गई और उसके बाद अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया – अपीलकर्ताओं के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 201 आर/डब्ल्यू एस.34 और एस.19 (1) आर/डब्ल्यू एस.21 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था – अपीलकर्ता नंबर 1 और 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और अपीलकर्ता नंबर 3 एक अस्पताल था। प्रशासनिक – आरोप यह था कि जब पीड़िता को अस्पताल लाया गया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज की गई थी और अपीलकर्ताओं को यह समझना चाहिए था कि गर्भाधान के समय वह 18 वर्ष से कम थी, और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया, जो वे करने में विफल रहे – अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत व्यक्ति पर जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने का कोई दायित्व नहीं है – मेडिकल रिकॉर्ड से पता चला है कि अपीलकर्ता नंबर 1 ने पहली बार पीड़ित को देखा था। जब बच्चे का जन्म हुआ और रिकॉर्ड में कहा गया कि वह उस समय 18 वर्ष की थी – अपीलकर्ता नंबर 1 को नहीं पता था कि पीड़िता नाबालिग थी जब उसने संभोग किया था – अपीलकर्ता नंबर 2 ने पीड़िता की जांच भी नहीं की थी और सिर्फ सलाह दी थी कि बच्चे को मां को दिया जाए – अपीलकर्ता नंबर 3, अस्पताल का प्रशासक होने के नाते उसके लिए प्रत्येक रोगी के विवरण से अवगत होना संभव नहीं था । अपीलकर्ताओं पर थोपी गई जानकारी की आवश्यकता यह नहीं हो सकती है कि उन्हें उन परिस्थितियों से कटौती करनी चाहिए थी कि कोई अपराध किया गया है – अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है – इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी जाती है – दंड संहिता 1860 – धारा 201 आर/डब्ल्यू एस 34। शब्द और वाक्यांश – ज्ञान – का अर्थ। अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1. अपीलकर्ताओं के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि उन्हें पता था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अपराध किया गया था। और, इसलिए, उन्हें संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी जो वे करने में विफल रहे। अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई और न्यायालय में दायर की गई सामग्री के अनुसार, ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। पुलिस ने पीड़िता की मां का बयान दर्ज कर लिया है। पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया है। उन्होंने यह बिल्कुल नहीं बताया है कि जब पीड़िता को अस्पताल लाया गया था, तो उसकी मां ने अपीलकर्ताओं को सूचित किया था कि जब वह नाबालिग थी तो आरोपी नंबर 1 द्वारा उसके साथ

बलात्कार किया गया था। माना कि पीड़िता गर्भवती थी और तुरंत प्रसव पीड़ा में चली गई। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता नंबर 1 का यह पेशेवर कर्तव्य था कि वह उसकी देखभाल करे और प्रसव का संचालन करे, जो उसने किया। इसी तरह, बच्चे के जन्म के बाद, बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अपीलकर्ता नंबर 2 ने अपना पेशेवर कर्तव्य निभाया। अपीलकर्ता नंबर 3 पीड़ित या बच्चे के संपर्क में बिल्कुल नहीं आया था। अस्पताल का प्रशासक होने के नाते उसके लिए प्रत्येक रोगी के विवरण से अवगत होना संभव नहीं था। अपीलकर्ता नंबर 3 के लिए पीड़ित के प्रवेश के आसपास की परिस्थितियों से अवगत होना संभव नहीं होगा। [पैरा 7, 8 और 12] [483–जी–एच; 484–ए–बी; 485–बी–सी]

अपीलकर्ताओं के खिलाफ स्थापित पूरा मामला इस आधार पर है कि जब पीड़िता को अस्पताल लाया गया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज की गई थी। उस आधार पर अपीलकर्ताओं को यह पता चल सकता था कि गर्भाधान के समय वह 18 वर्ष से कम थी और इस प्रकार, नाबालिग थी और इसलिए, अपीलकर्ताओं को यह पता लगाने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी कि पीड़िता गर्भवती कैसे हुई। उपरोक्त आरोप के आधार पर आपराधिक दायित्व तय करना बहुत दूर की बात है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के प्रावधान किसी व्यक्ति पर कानूनी दायित्व डालते हैं, अन्य बातों के साथ–साथ, जब उसे पता हो कि अधिनियम के तहत अपराध किया गया है, तो वह संबंधित अधिकारियों को सूचित करे। प्रयुक्त अभिव्यक्ति "ज्ञान" है जिसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुछ जानकारी उसे अपराध के बारे में ज्ञान देती है। इस व्यक्ति पर जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने का कोई दायित्व नहीं है। यदि ऐसा है भी, तो अपीलकर्ता गर्भावस्था के कारण का पता लगाने के लिए पर्याप्त सावधान नहीं थे क्योंकि प्रसव के समय पीड़िता केवल 18 वर्ष की थी। लेकिन इसे अपराध में तब्दील नहीं किया जाएगा। अपीलकर्ताओं पर थोपी गई जानकारी की आवश्यकता यह नहीं हो सकती है कि उन्हें परिस्थितियों से यह अनुमान लगाना चाहिए था कि अपराध किया गया है। तदनुसार, डा सीनियर टेसी जोस और अन्य बनाम केरल राज्य अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है। [पैरा 9, 13 और 14] [484–डी–ई; 485–बी–सी] ए एस कृष्णन और अन्य बनाम केरल राज्य (2004) 11 एससीसी 576 : [2004] 3 एससीआर 44 – संदर्भित। केस लॉ रेफरेंस [2004] 3 एससीआर 44 पैरा 10 आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 961 को संदर्भित किया गया। 2017 के सीआर एमसी नंबर 5129 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 20.12.2017 के फैसले और आदेश से। बालगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. हर्षवीर प्रताप शर्मा, पंकज कुमार, राघेंत बसन, मिथुन वर्गीश, सुश्री नमिता वाही, सुश्री लिज मैथ्यू, विपिन नायर, पीबी सुरेश, अभय प्रताप सिंह, एपी मुकुंदन, अंशुमान बहादुर, कार्तिक जयशंकर, विपिन नायर, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए। न्यायालय का निर्णय ए. के. सीकरी, जे. 1 द्वारा सुनाया गया था। 1 अगस्त, 2018 को इस मामले की सुनवाई के बाद, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

"राहत दी गई। हमने दलीलें सुनी हैं।वहमें सूचित किया गया है कि निचली अदालत के समक्ष आज सुनवाई चल रही है। चूंकि, निर्णय को निर्देशित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए हम इस अपील को अनुमति दे रहे हैं ताकि निर्णय को ट्रायल कोर्ट को अवगत कराया जा सके। पालन करने के कारण। इस आदेश की एक प्रति पक्षकारों के वकीलों को प्रदान की जा सकती है।

2. अब हम अपने कारण बता रहे हैं जिसके कारण हमें अपीलकर्ताओं की अपील की अनुमति देनी पड़ी।

3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, पॉक्सो अधिनियम) के प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें आरोप पत्र दायर किया गया है और 2017 के सत्र मामला संख्या 460 के रूप में दर्ज मामला विशेष न्यायाधीश, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित है। यहां अपीलकर्ताओं को आरोपी संख्या 10 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 9 एस.सी.आर. 3, 4 और 5। जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के साथ धारा 34 (संक्षेप में, 'आईपीसी'), धारा 19 (1) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 (1) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत आरोप हैं।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि अभियुक्त नं. पीड़िता जब 2016 में नाबालिग थी तब उसने उसके साथ बलात्कार किया था। नतीजतन, वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की मां के अनुसार, जब पीड़िता ने अपने पेट में दर्द के बारे में शिकायत करना शुरू किया, तो यह सोचकर कि यह पेट से संबंधित कोई समस्या है, वह उसे 7 फरवरी, 2017 को अस्पताल ले आई, जहां अपीलकर्ता काम कर रहे थे। यह पाया गया कि पीड़िता गर्भावस्था के अग्रिम चरण में थी। वास्तव में, अस्पताल लाए जाने के तुरंत बाद, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बच्चे को जन्म दिया। जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, उनकी भूमिका यह है कि उन्होंने पीड़ित की देखभाल की। अपीलकर्ता नंबर 1 एक 66 वर्षीय महिला है जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है और उसने प्रसव कराया था। अपीलकर्ता नंबर 2 एक बाल रोग विशेषज्ञ है जिसने प्रसव के बाद पीड़िता के बच्चे को देखा था। अपीलकर्ता नंबर 3, एक 69 साल पुराना अस्पताल प्रशासन है। उसे उस क्षमता में शामिल किया गया है, हालांकि उसने पीड़ित या बच्चे की देखभाल नहीं की।

5. यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि इन अपीलकर्ताओं को आरोपी संख्या 10 द्वारा कथित रूप से किए गए पीड़िता के कथित बलात्कार के बारे में कोई जानकारी थी। इससे पहले किसी भी समय। वास्तव में, वे 7 फरवरी, 2017 से पहले तस्वीर में नहीं आए थे जब पीड़ित को अस्पताल लाया गया था। हालांकि, इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप मुख्य रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत एक कृत्य के कथित होने के कारण है। यह धारा निम्नानुसार है: "धारा 19 (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद

, कोई भी व्यक्ति (बच्चे सहित), जिसे आशंका है कि इस अधिनियम के तहत अपराध किए जाने की संभावना है या उसे पता है कि ऐसा अपराध किया गया है, वह ऐसी जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रदान करेगा; या (बी) स्थानीय पुलिस। (2) उपधारा (I) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट निम्नलिखित होगी– (क) एक प्रविष्टि संख्या दी जाएगी और लिखित रूप में दर्ज की जाएगी;

(ख) सूचनादेने वाले को पढ़ा जाए;

(ग) पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। डॉ. सीनियर टेसी जोस और अन्य बनाम केरल राज्य [एके सीकरी, न्यायमूर्ति (3) जहां उप–धारा (1) के तहत रिपोर्ट एक बच्चे द्वारा दी जाती है, उसे धारा (2) के तहत सरल भाषा में दर्ज किया जाएगा ताकि बच्चा रिकॉर्ड की जा रही सामग्री को समझ सके। (4) यदि विषय–वस्तु को उस भाषा में अभिलिखित किया जा रहा है जिसे बालक समझ नहीं पा रहा है या जहाँ आवश्यक समझा जाए, तो ऐसी अर्हता, अनुभव रखने वाला और ऐसी फीस के भुगतान पर जो निर्धारित किया जाए, यदि बालक उसे समझने में विफल रहता है, तो उसे प्रदान किया जाएगा। (5) जहां विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस संतुष्ट है कि जिस बच्चे के खिलाफ अपराध किया गया है, उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। फिर, यह लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद, रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर उसे ऐसी देखभाल and_ सुरक्षा (बच्चे को आश्रय गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती करने सहित) देने के लिए तत्काल व्यवस्था करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। (6) विशेष किशोर पुलिस एकक या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना, लेकिन चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, मामले को बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय नामित नहीं किया गया है, सत्र न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसमें देखभाल और संरक्षण के लिए बच्चे की आवश्यकता और इस संबंध में उठाए गए कदम शामिल हैं।(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावना से सूचना देने के लिए कोई व्यक्ति चाहे वह सिविल हो या फौजदारी, कोई दायित्व नहीं लेगा।

6. जैसा कि उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है, एक व्यक्ति जिसे आशंका थी कि उक्त अधिनियम के तहत अपराध किए जाने की संभावना है या जिसे यह जानकारी है कि ऐसा अपराध किया गया है, उसे संबंधित अधिकारियों को ऐसी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

7. इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, वह यह है कि उन्हें पता था कि अधिनियम के तहत एक अपराध किया गया था और इसलिए, उन्हें संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी जो वे करने में विफल रहे।

8. रिकॉर्ड को देखने और पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री और अदालत में दायर सामग्री के अनुसार भी ऐसा कोई मामला नहीं बनता है।

पुलिस ने पीड़िता की मां का बयान दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 9 एस.सी.आर.

पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया है। उन्होंने यह बिल्कुल नहीं बताया है कि जब पीड़िता को अस्पताल लाया गया था, तो उसकी मां ने अपीलकर्ताओं को सूचित किया था कि जब वह नाबालिग थी तो आरोपी नंबर 1 द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था। माना कि पीड़िता गर्भवती थी और तुरंत प्रसव पीड़ा में चली गई। इन परिस्थितियों में, यह अपीलकर्ता नंबर 1 का पेशेवर कर्तव्य भी था कि वह उसकी देखभाल करे और डिलीवरी का संचालन करे, जो उसने किया। इसी तरह, बच्चे के जन्म के बाद, बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अपीलकर्ता नंबर 2 ने अपना पेशेवर कर्तव्य निभाया।

9. अपीलकर्ताओं के खिलाफ स्थापित पूरा मामला इस आधार पर है कि जब पीड़िता को अस्पताल लाया गया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज की गई थी। उस आधार पर अपीलकर्ताओं को यह पता चल सकता था कि गर्भाधान के समय वह 18 वर्ष से कम थी और इस प्रकार, नाबालिग थी और इसलिए, अपीलकर्ताओं को यह पता लगाने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी कि पीड़िता गर्भवती कैसे हुई। उपरोक्त आरोप के आधार पर आपराधिक दायित्व तय करना बहुत दूर की बात है। धारा 19 (1) के उपबंध, जिसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, किसी व्यक्ति पर कानूनी दायित्व डालता है कि वह संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करे, अन्य बातों के साथ–साथ, जब उसे पता हो कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है। प्रयुक्त अभिव्यक्ति "ज्ञान" है जिसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुछ जानकारी उसे अपराध के बारे में ज्ञान देती है। इस व्यक्ति पर जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने का कोई दायित्व नहीं है। कुल मिलाकर, अपीलकर्ता गर्भावस्था के कारण का पता लगाने के लिए पर्याप्त सावधान नहीं थे क्योंकि प्रसव के समय पीड़िता केवल 18 वर्ष की थी। लेकिन इसे अपराध में तब्दील नहीं किया जाएगा।

10. "ज्ञान" शब्द की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा एएस कृष्णन और अन्य बनाम केरल राज्य मामले में की गई है, जिसका अर्थ संबंधित व्यक्ति की ओर से जागरूकता है जो उसकी मन:स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति को केवल यह जानने के लिए माना जा सकता है कि उसकी इंद्रियों के लिए सीधी अपील कहां है। हमने पीड़िता के मेडिकल रिकॉर्ड देखे हैं, जिन्हें अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसंत आर द्वारा संदर्भित किया गया था। अभियोजन पक्ष जिन मेडिकल रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, उनसे केवल यह पता चलता है कि पीड़िता को सुबह 9.15 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे तुरंत प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और 9.25 बजे उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसलिए, अपीलकर्ता नंबर 1 ने 7 फरवरी, 2017 को सुबह 9.15 बजे से 9.25 बजे के बीच पहली बार पीड़ित को पेश किया। पीड़िता के मेडिकल रिकॉर्ड में कहा गया है कि वह 7 फरवरी, 2017 को 18 साल की थी। अपीलकर्ता नंबर 1 को नहीं पता था कि पीड़िता नाबालिग थी जब उसने संभोग किया

था। (2004) 11 एससीसी 576 डॉ सीनियर टेसी जोस और अन्य बनाम केरल राज्य [एके सीकरी, न्यायमूर्तिगण]

11 अपीलकर्ता नंबर 2 ने पीड़िता की जांच भी नहीं की थी और वह पीड़िता के संपर्क में नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा आधार बनाए गए मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, 7 फरवरी, 2017 को शाम 5.30 बजे अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा बच्चे को देखा गया था। उन्होंने सलाह दी कि बच्चे को मां को दे दिया जाए। इसलिए, अपीलकर्ता नंबर 2 के पास पीड़ित की जांच / उपचार करने का कोई अवसर नहीं था।

12. अपीलकर्ता नंबर 3 पीड़ित या बच्चे के संपर्क में बिल्कुल नहीं आया था। अस्पताल का प्रशासक होने के नाते उसके लिए प्रत्येक रोगी के विवरण से अवगत होना संभव नहीं था। यह देखते हुए कि पीड़ित को 7 फरवरी, 2017 को पहली बार उक्त अस्पताल में लाया गया था, अपीलकर्ता नंबर 3 के लिए पीड़ित के प्रवेश के आसपास की परिस्थितियों से अवगत होना संभव नहीं होगा।

13. अपीलकर्ताओं पर थोपी गई जानकारी की आवश्यकता यह नहीं हो सकती है कि उन्हें उन परिस्थितियों से अनुमान लगाना चाहिए था कि अपराध किया गया है।

14. तदनुसार, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है। सबूत ऐसे होने चाहिए जो कम से कम गंभीर संदेह का संकेत दें। केवल संदेह की संभावना किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने का कारण नहीं हो सकती है। तदनुसार, इन अपीलों को अनुमति दी जाती है और 2017 के उपरोक्त सत्र केस नंबर 460 में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जाती है।

दिव्या पांडे द्वारा अपील स्वीकार की गई।

Digitally signed by Abhishek Kumar Chaturvedi
Date: 2023.10.25 13:40:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court